



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239967
CG-DL-E-01112022-239967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4865]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944

No. 4865]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(पीआईटीएनडीपीएस प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

का.आ. 5084(अ).—जबकि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उप-धारा के अधीन दिनांक 22.07.2022 को जारी नजरबंदी आदेश सं. यू.-11011/15/2022- पीआईटीएनडीपीएस के अंतर्गत निदेश दिया था कि फैजान खान, पुत्र उस्मान खान, निवासी अंसारी मोहल्ला, वार्ड 14, थाना- फतेहगंज पश्चिम जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हे जिला कारागार, बरेली, उत्तर प्रदेश में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए।

2. जबकि, केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है ताकि उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत हों।

[फा. सं. यू.-11011/15/2022-पीआईटीएनडीपीएस]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(PITNDPS DIVISION)****ORDER**

New Delhi, the 1st November, 2022

S.O. 5084(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India especially empowered under sub-section (1) of section (3) of the Prevention of Illicit Traffic of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order No. U-11011/15/2022-PITNDPS dated 22.07.2022 under the said sub-section directing that Faizan Khan, S/o Usman Khan r/o Ansari Mohalla, Ward 14, PS- Fatehganj West District- Bareilly, UP, be detained and kept in custody in District Jail, Bareilly UP, with a view to prevent him from engaging in illicit trafficking of narcotic drug & psychotropic substances.

2. Whereas, the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Lucknow within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. U-11011/15/2022-PITNDPS]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.